

2023/3/2

फर्द अहकाम
(नियम-26)

अदालत उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर मुकाम कैम्प जुगलपुर

मुकदमा प्रार्थना पत्र धारा 131 व 132 राजस्थान मू राजस्व अधिनियम 1956 बाबत रास्ता


मुकदमा नं. 95 / 2023

तारीख हुक्म	हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	नम्बर तारीख अहकाम जो इस हुकम की तारीख में जारी हुये
20/4/23	<p>राजस्व (ग्रुप-6) विभाग के परिपत्र क्रमांक प 3 (2) राज-6/2003 / पार्ट जयपुर, दिनांक 10.08.2016 की पालना में तहसीलदार श्रीमाधोपुर के पत्रांक राजस्व/2021/ दिनांक / /2021 द्वारा आवागमन हेतु सार्वजनिक उपयोग में आ रहे रास्तों का राजस्व अभिलेख में स्थाई अंकन करने राजस्व ग्राम <u>जुगलपुर</u> ग्राम पंचायत <u>जुगलपुर</u> पट्टवार मण्डल <u>जुगलपुर</u> मू-अभिलेख निरीक्षक वृत्त <u>जुगलपुर</u> तहसील श्रीमाधोपुर में प्रचलित रास्ते का राजस्व रिकॉर्ड में स्थाई अंकन हेतु प्रस्ताव मय राजस्व रिकॉर्ड एवं नक्शा ट्रेस, मौका पर्चा के प्राप्त हुआ है। मुताबिक रिपोर्ट रास्ता <u>जुगलपुर</u> से <u>जुगलपुर</u> तक जाता है। रास्ता काफी वर्षों से प्रचलित है एवं कदीमी है। इस रास्ते की चौड़ाई 04 मीटर है। यह रास्ता ग्राम <u>जुगलपुर</u> की भूमि खसरा नम्बर <u>593, 598, 594, 595, 606, 589</u> में से होर गुजरता है। यह रास्ता उक्त खसरा नम्बरों में मौके पर चालू है लेकिन रास्ते का राजस्व रिकॉर्ड में अंकन नहीं है। रास्ते की चौड़ाई 04 मीटर है। ग्राम पंचायत <u>जुगलपुर</u> की अनापत्ति प्रमाण पत्र भी सलग्न है। प्रस्तावित रास्ते को नक्शा ट्रेस में लाल स्याही (डोटेड लाईन) से दर्शाया गया है। उक्त रास्ता बारहमासी प्रचलित है तथा मौसम/ऋतुओं के अनुसार बदलता नहीं है और आमजन के आने जाने हेतु उपलब्ध है। राजस्व रिकॉर्ड में उक्त रास्ते कि किस्म गै.मु. रास्ता दर्ज करने एवं लाल स्याही से अंकन करने के आदेश जारी करने हेतु प्रस्तावित किया गया है।</p> <p>पत्रावली व प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड और ग्राम पंचायत की अनापत्ति प्रमाण पत्र का अवलोकन किया गया। राजस्थान मू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131 व 132 तथा राजस्थान</p>	

bajranglal.llr@gmail.com; viral9099@gmail.com

श्रीमाधोपुर Revenue App
प्रशासन गाँवों के संग अभियान-2023
उपखण्ड अधिकारी- श्रीमाधोपुर
पंचायत समिति- अजीतगढ़

भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131 व 132 तथा राजस्थान भू-अभिलेख नियम 1957 के नियम 58, 59, 60, 66 एवं 68 के प्रावधानानुसार के अनुसार तहसीलदार श्रीमाधोपुर के द्वारा अभिशंसित सलग्न प्रस्ताव अनुसार राजस्व अभिलेख व नक्शा ट्रेस में दर्ज खातेदारन की खातेदारी भूमि में से प्रस्तावित रास्ते को गैर मुमकिन रास्ते के रूप में दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है। सलग्न प्रस्ताव व नक्शा ट्रेस के अनुसार ग्राम शुगलपुरा ग्रामपंचायत शुगलपुरा पटवार मण्डल शुगलपुरा भू-अभिलेख निरीक्षक वृत्त शुगलपुरा तहसील श्रीमाधोपुर की भूमि खसरा नम्बर 553, 594, 595, 598, 599, 606 में से 0.0890 हेक्टर भूमि का राजस्व अभिलेख में जरिये 'नामान्तरकरण' रास्ता पृथक से दर्ज करते हुये रास्ते के रकबे की किस्म गैर मुमकिन रास्ता दर्ज किया जावे, एवं प्रस्तावित नक्शे अनुसार नक्शे में तरमीम की जावे। गैर मुमकिन रास्ते की भूमि सम्बन्धित खातेदार के खाते में ही रहेगी एवं तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा भेजा गया प्रस्ताव व नक्शा ट्रेस आदेश का भाग रहेगा, तदानुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद हेतु तहसीलदार श्रीमाधोपुर को तहरीर जारी की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो।


 22/04/23
 शिव प्रसाद अधिकारी
 उपसमन्वयक संयुक्त अभियान-2023
 उपश्रीमाधोपुर
 पंचायत समिति- श्रीमाधोपुर
 अजीतगढ़